


कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—: संशोधन आदेश ::—

निम्नलिखित व्याख्याता के कॉलम सं0 05 के अनुसार संशोधन किया जाता है:—

क्र स	नाम कार्मिक	विषय	मूल आदेश क्रमांक/दिनांक	जारी संशोधन जो किया जाना है
1	रमेश चन्द्र यादव राजगढ़ अलवर	भूगोल	शिविरा-माध्य/संस्था/सी-5/नियुक्ति/पीएसी-10/सीधी भर्ती/2010/भूगोल/दिनांक-04.12.2010	कार्मिक के आदेश में रमेश चन्द्र यादव पुत्र प्रभाती लाल के स्थान पर रमेश चन्द्र यादव पुत्र प्रभाती लाल यादव एवं रानी रोड माचेरी, राजगढ़ अलवर के स्थान पर रैणी रोड माचाडी, राजगढ़ अलवर पढा जावें।
2	इन्तेजार अली रतनगढ़ चूरु	उर्दू	शिविरा-माध्य/संस्था/सी-5/नियुक्ति/स्थाइकरण/2018/भूगोल/दिनांक-11.04.2018	स्थाइकरण आदेश में 29.02.2018 के स्थान पर 01.03.2018 पढा जावें।
3	नवीन कुमार जौलिया बीसासर बाडमेंर	उर्दू	शिविरा-माध्य/संस्था/सी-5/नियुक्ति/स्थाइकरण/2018/भूगोल/दिनांक-30.04.2018	स्थाइकरण आदेश में 29.02.2018 के स्थान पर 01.03.2018 पढा जावें।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/संशोधन/2018

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. संबंधित उपनिदेशक (मा)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा)
3. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि
4. संबंधित कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
6. रक्षित पत्रावली

दिनांक 14/6/18


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर